कम्प्यूटर परिपत्र संख्या - सग्रह अनुभाग - र-3 आर0-27 मिलान / 270 / वाणिज्य कर,
पत्र संख्या- ज्वा0कमि0 (संग्रह अनुभाग) समीक्षा बैठक /2010-11 / 1112024/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: मई, 27-30 2011,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के महालेखाकार उत्तर प्रदेश की आडिट रिपोर्ट के आधार पर दिनॉक 03-6-2011 को होने वाली बैठक की समीक्षा पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि खण्ड स्तर पर रखे जाने वाले आर-3 व आर-27 रजिस्टर का मिलान न होने के कारण बहुत सी बकाया वसूली , जो आर-27 रजिस्टर में अंकित थी वह आर-3 रजिस्टर पर अंकित नही पायी गयी जिसके कारण सम्परीक्षा अधिकारियों द्वारा आर-3 रजिस्टर से कर वसूली के जो ऑकड़े एकत्र किये गये उनमें एवं मुख्यालय को प्रेषित कर वसूली के ऑकड़ो में भारी अन्तर पाया गया ।

भविष्य में उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति न हो , अत: यह निर्देश दिया जाता है कि आर-27 रजिस्टर पर वसूली की धनराशि को अंकित करने के तत्काल बाद वरिष्ठ सहायक जमा का चालान खातापालक को उपलब्ध करायेगें , जिन्हें सम्बन्धित खातापालक उसी दिन आर- 3 रजिस्टर पर भाग -2 में अंकित करेगें । जहॉ विभागीय वसूली है अथवा जहॉ वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से की जा रही है ,वहॉ मात्र डिप्टी कमिश्नर (सग्रह) वाणिज्य कर अथवा जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर आर-3 रजिस्टर में वसूली अंकित न की जाय । वसूली तभी अंकित की जाय ,जब उसका चालान भी प्रस्तुत किया जाय । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि वरिष्ठ सहायक एवं खातापालक प्रत्येक माह के व्दितीय सप्ताह में आर-3 व आर-27 रजिस्टर का मिलान करेगें , जिससे यदि कहीं पर अन्तर आ रहा है तो उसे तत्काल सही कराया जा सकें ।

25/5/11
(चन्द्र भानु)
कमिश्नर , वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।